भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2727
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

एक राष्ट्र, एक चुनाव संबंधी समिति

2727. श्री बी.वाई राघवेन्द्र :
श्री डी.के.सुरेश :
श्री नलीन कुमार कटील :
श्री एस.सी उदासी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव कराने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया है तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की राय ली है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे है ; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त प्रस्ताव के लाभ तथा हानियों के अध्ययन हेतु किसी समिति की स्थापना करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विभिन्न पणधारियों जिसके अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग भी है, से परामर्श करके लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे की परीक्षा की थी । समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं । मामले को अब आगे की परीक्षा हेतु विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया गया है ताकि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराने के लिए व्यवहारिक रुप रेखा और ढांचा तैयार किया जा सके ।

****